भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 326

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गुटबंदी के मामलों की जांच

***326. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान गुटबंदी (कार्टेल) के ऐसे मामलों की संख्या के क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं जिनकी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच की गई है;
(ख) सीमा पार गुटबंदी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विभिन्न उद्योगों में कंपनियों के बीच गुटबंदी की घटनाओं की निगरानी और उनका पता लगाने के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा बाजार की प्रमुख कंपनियों द्वारा की जाने वाली गुटबंदी के प्रतिकूल प्रभावों से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार का गुटबंदी तथा व्यवसायों, उपभोक्ताओं और व्यापार संघों पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है या वह प्रभावी कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गुटबंदी के मामलों की जांच के संबंध में दिनांक 24.03.2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों (13.03.2025 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जांच किए गए कार्टेल संबंधी मामलों की संख्या पर क्षेत्रवार डाटा इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**क्षेत्र**	**कार्टेल संबंधी मामलों की संख्या**
1	नागरिक उड्डयन	1
2	विद्युत	1
3	कोयला	2
4	वित्तीय सेवाएं	2
5	लोहा और इस्पात	2
6	रेलवे	4
7	स्वास्थ्य और फार्मा	5
8	विविध	18
	योग	35

(ख): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिस्त्र, मॉरीशस, जापान, ब्राजील, ब्रिक्स (ब्राजील, रूसी परिसंघ, चीन जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य), कनाडा, यूरोपीय आयोग, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में सीसीआई और इसके समझौता ज्ञापन भागीदारों के बीच उनके संबंधित कानूनी ढांचे, बाधाओं, प्रवर्तन हितों और उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन प्रवर्तन सहयोग के लिए प्रावधान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अपने व्यापार भागीदारों के साथ 14 मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ मुक्त व्यापार करारों में प्रतिस्पर्धा पर एक पृथक अध्याय है, जिसके अनुसार पक्षकारों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को सुकर बनाने और अपने बाजार के कुशल कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक पक्षकार अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा-विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध उपयुक्त समझे जाने वाले उपाय करेगा।

(ग): आयोग के पास समग्र दृष्टिकोण रखने और किसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए एक प्रभाग है।

(घ): प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने अधिनियम की धारा 46 के ढांचे के भीतर "कम शास्ति प्लस" की अवधारणा पेश की। परिणास्वरूप, 20.02.2024 को, 2009 के नियमों की जगह सीसीआई (कम शास्ति) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया गया और कार्टेल के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए "कम शास्ति प्लस" (एलपीपी) तंत्र पेश किया गया। एलपीपी तंत्र को एक कार्टेल के संबंध में मौजूदा कम शास्ति आवेदक को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था ताकि वह किसी अन्य कार्टेल के बारे में पूर्ण, सच्चा और महत्वपूर्ण प्रकटन दे सके, जो अब तक सीसीआई के संज्ञान में नहीं था।

कार्टेल जांच के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, हब एंड स्पोक तंत्र को संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(3) में परंतुक पेश करके शामिल किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि एक उद्यम या उद्यमों का एक संघ या एक व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ यद्यपि समान या समरूप व्यापार में शामिल नहीं है, यदि वह इस तरह के समझौते को आगे बढ़ाने में भाग लेता है या भाग लेने का इरादा रखता है तो उन्हें भी इस उप-धारा के तहत समझौते का हिस्सा माना जाएगा।

(ङ): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अपने प्रवर्तन और समर्थन अधिदेश के माध्यम से विकृतियों को दूर करने के लिए बाजार सुधार करने के अलावा बाजार अध्ययन और समर्थन कार्यक्रम आयोजित करके, प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण देकर बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने का प्रयास करता है। सीसीआई ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों (19.03.2025 तक) के दौरान 1446 हिमायत कार्यक्रम आयोजित किए।

*****